न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 34 / 2023

1 पूरणमल पुत्र हनुमान उम्र 56 साल जाति माली निवासी ढाणी चुड़सिंह की तन नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
2 मोहर सिंह पुत्र हनुमान उम्र 41 साल जाति माली निवासी ढाणी चुड़सिंह की तन नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
3 बनवारी पुत्र हनुमान जाति माली निवासी ढाणी चुड़सिंह की तन नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मन्दिर मूर्ति श्री जानकी वल्लभ जी जरिये वाद मित्र रामजीलाल पुत्र कुरड़ाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरा जी की तन नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
2 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, बउनवान मन्दिर मूर्ति
श्री जानकी वल्लभ जी बनाम राज. सरकार मु.नं. 08 / 2017

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री इकरार अली, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2017 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में एक वाद रिकार्ड दुरूस्ती नक्शा व घोषणात्मक बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 465, 466 वाके ग्राम खेतड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वाद पत्र का वादी विवादित भूमि का कोई रिकार्डेड खातेदार नहीं है और राजस्व रिकार्ड में स्वत्व के अभाव में दावा पेश नहीं किया जा सकता। वाद मित्र रामजीलाल पुत्र कुरड़ाराम जाति माली निवासी ढाणी बोहरा वाली कोई रिकार्डेड खातेदार नहीं है और न ही मन्दिर मूर्ति श्री जानकी वल्लभजी का हितैषी है और ना ही मन्दिर मूर्ति (Deity) को कोई अहित या हानी हो रही थी, जिस कारण वाद मित्र बनकर दावा पेश करने की आवश्यकता हुई। वाद मित्र को दावा लाने का कोई अधिकार ही नहीं था। वादी ने दावा में कोई खसरा नम्बर का वर्णन नहीं किया है। अपने दावा के रिलिफ में कौन से खसरा से कौन—कौन से खसरा तक रास्ता की आवश्यकता है, कहीं भी कोई स्पष्ट नहीं किया है। विवादित खसरा नम्बर 465 व 466 मीटर के नये खसा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

नम्बर 1592, 1593, 1601, 1602, 1605, 1606 व 1607 बनते है। उक्त तमाम खसरों के खातेदार तो स्वयं मन्दिर मूर्ति श्री जानकी वल्लभ जी ही है। कोई व्यक्ति कैसे स्वयं के खिलाफ ही कोई दावा प्रस्तुत कर डिक्री करवा सकता है। इस कानूनी तथ्य की विचारण न्यायालय ने गौर ना करके भयंकर भूल की है। विवादित भूमि 465 मी. व 466 मी. हाल खसरा नम्बर 1592, 1593, 1601, 1602, 1605, 1606 व 1607 में कभी भी कटानी का रास्ता नहीं रहा है। वादी ने ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में कोई दावा साबित नहीं माना जा सकता है तथा माननीय न्यायालय ने **Sou-moto** ही पटवारी रिपोर्ट पर प्रदर्श–अ अंकित कर दिया जबकि कानूनन तहसीलदार की रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए ना कि पटवारी। पटवारी कोई सक्षम अधिकारी नहीं है। जिस कानूनी बिन्दु पर गौर ना करके विचारण न्यायालय ने भारी भूल की है। माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष सिविल न्यायाधीश खेतड़ी में विचाराधीन प्रकरण के दस्तावेज प्रस्तुत हुए है। उक्त प्रकरण भी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य ही इसी रास्ते की भूमि को लेकर प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें रेस्पोडेन्ट ने एक दावा खिलाफ अपीलान्ट व वादी मन्दिर मूर्ति का प्रस्तुत किया है और दौराने दावा यह स्वीकार किय है कि विवादित भूमि मन्दिर मूर्ति श्री जानकी वल्लभ जी की भूमि है, जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया है और दौराने दावा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. प्रस्तुत कर मूर्ति मन्दिर श्री जानकी वल्लभ जरिए पुजारी राधेश्याम पुत्र श्रीनिवास जाति ब्राह्मण निवासी खेतड़ी को पक्षकार बनाया था। जिससे यह साबित है कि सिविल न्यायालय खेतड़ी के समक्ष रेस्पोडेन्ट मन्दिर मूर्ति के खिलाफ मुकदमा प्रस्तुत किया है और हस्तगत प्रकरण में स्वयं ही मन्दिर मूर्ति श्री जानकी वल्लभ जी का वाद मित्र बनकर न्यायालय से तथ्य छुपाकर राज्य सरकार को पक्षकार बनाकर बाला–बाला दावा पेश कर डिक्री करवाया है जो विधि विरूद्ध है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट काबिज है वर्षो से अपने पक्के मकानात बनाकर काबिज है, काश्त करते है, करीब 100 वर्षो से अधिक समय से विवादित भूमि को काश्त कर रहे है। अपीलान्ट विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय के निर्णय व डिक्री से आहत है, जिनको सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। न्यायालय को मुगालता देकर बिना किसी साक्ष्य, दस्तावेज व सबुतों के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ जाकर दावा डिक्री करने की कानूनी भूल की है। सन् 1938–39 ने नक्शा ट्रेस में कोई कटानी रास्ता नहीं है तथा 1979–80 के नक्शा ट्रेस में भी कोई कटानी रास्ता उपलब्ध नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की भूमि में कानून को धोखा देकर मन्दिर का हितैषी बनकर दावा प्रस्तुत कर तथ्यों को छुपाकर लाभ प्राप्त करता है तो ऐसी डिक्री व निर्णय प्रथम दृष्टया ही काबिले निरस्त है। रेस्पोडेन्ट कभी भी मन्दिर का हितैषी नहीं था और सिविल न्यायालय में उसी मन्दिर के खिलाफ मुकदमा पेश कर उसी खसरा नम्बर की भूमि में से रास्ता लेने के लिए दावा प्रस्तुत कर रखा है, वहां सफलता नहीं मिली तो विचारण न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर गलत डिक्री व निर्णय पारित करवाया है, जो विधि विरूद्ध है, काबिले अपास्त है। विवादित प्रकरण में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे लेकिन विवादित निर्णय व डिक्री से प्रभावित है, पीड़ित है क्योंकि पटवारी रिपोर्ट में भी यह दर्शित है कि मौके पर अपीलान्ट के पक्के मकानात बने हुए है, जिस कारण अपीलान्ट एक प्रभावित पीड़ित व्यक्ति है, जिनको अपीलान्ट स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। जिसकी इजाजत हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 96 सीपीसी का अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि ढाणी बोरावाली में जाने हेतु नानूवाली बावड़ी से धर्मदड़ा जाने वाली डामर सड़क पानी की टंकी के पास से शंकरलाल पुत्र साबदान जाति माली निवासी ढाणी कादरीयावाली के मकानों के सामने से भूमि खसरा नम्बर 1601 में से सुल्तान पुत्र हनुमान पूर्ण पुत्र हनुमान एवं बनवारी पुत्र हनुमान जाति माली निवासी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ढाणी चुड़सिंह वाली के मकानों के आगे से खसरा नम्बर 1601 में होता हुआ। उक्त रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1598 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. 0.01 बा. 0.03 हैक्टेयर में जाकर मिलता है जिसकी चौड़ाई लगभग 12 फीट है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1598 नक्शा लट्ठा में रास्तानुमा आकृति में लगभग 12 फीट चौड़ा है जो मौके पर लगभग 7–8 फीट चौड़ाई में रास्ते के काम में आ रहा है। शेष में बाड़–झाड़ व पेड़ खड़े है परन्तु मौके पर प्रचलित रास्ता कुआ भूमि खसरा नम्बर 1620 तक एवं खसरा नम्बर 1616 को छोड़कर नक्शा लट्ठा में रास्तेनुमा आकृति में कटा हुआ है और मौके पर रास्ते के रूप में काम आता है जो पटवारी हल्का नानूवाली बावड़ी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित किया गया है। इस प्रकार पटवारी हल्का नानूवाली बावड़ी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) के अनुसार वाद वादी स्वीकार कर विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की है। अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं है। अपीलांट द्वारा इस भूमि के संदर्भ में खातेदारी की उद्घोषणा की भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील धारा 5 व धारा 96 के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 5 व धारा 96 के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

निर्णय आज दिनांक 24.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर